को पेश हो।

ह०
उपखण्ड अधिकारी, देवली

16.12.15 पत्रावली पेश हुई।
पक्षगण उप. / अनु. आज श्रीमान् पीठासीन
अधिकारी टौर पर / अवकाश पर पधारे
है। पत्रावली मुल्तवी होकर दिनांक 20-1-16
को पेश हो।

ह०
उपखण्ड अधिकारी, देवली

20.1.16
वकुलाय उपस्थित। प्रतिवादी [illegible] की मुलवार
के [illegible] से पूर्व में पत्रावली वास्ते बहस
हेतु दिनांक 17.2.16 को पेश हो।

17.02.16
वकुलाय उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस
दिनांक 30.3.16 को पेश हो।

30.3.16 वकुलाय उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस
हेतु दिनांक 4.5.16 को पेश हो।

[illegible]16 पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प [illegible] पेश हुई।
प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी 6 उप.
शेष अप्रार्थीगण को बावुजूद तलबाद
अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी सं. 8 व 10 को 15/3/15 के
जवाब 8/5/15 को प्रस्तुत हो चुका है। ऐसी स्थिति
अन्तर्गत 212 R.T. Act स्वीकार करना उचित प्रतीत
होता है।

[illegible] लाल
[illegible] 16
पूरन [illegible]

राजसिंह
भगीरथसिंह

सरपंच
ग्राम पंचायत, [illegible]
पं. स. देवली (टोंक)

अतः अस्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती है कि आवेदक मौजा फिंदरली की कृषि भूमि खसरा नं० 253 से लगायत 259 कुल रकबा 1.30 हैक्टर में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त कारत में न स्वयं दखल अंदाजी करने न ही दखल/एजेन्ट करावे। प्रार्थीया के कब्जे काश्त की भूमि का बेचान हस्तान्तरण स्वयं करे न ही अन्य करावे हेतु वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को रोका जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ शामिल की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)